# झारखण्ड विधान सभा

## कोर्ट-फीस (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2017

[सभा द्वारा यथापारित]

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

# कोर्ट-फीस (झारखण्ड संशोधन) विधयेक, 2017

[सभा द्वारा यथापारित ]

## कोर्ट-फीस अधिनियम, 1870 में संशोधन के लिए विधेयक।

प्रस्तावनाः-

वर्तमान में कोर्ट फी अधिनियम, 1870 के प्रावधानों के अन्तर्गत समस्त शुल्क स्टाम्प के माध्यम से संग्रहित किये जाते हैं। उन स्टाम्पों को छपाने में सरकार को भारी व्यय करना पड़ता है। स्टाम्प की अनुपलब्धता के कारण कभी-कभी जनता को असुविधा होती है। यदि कोर्ट फी का भुगतान स्टाम्प के अतिरिक्त ई-भुगतान द्वारा किया जाए तो जनता को जाली स्टाम्प, स्टाम्प की अनुपलब्धता आदि समस्याओं से मुक्ति मिलेगी तथा सरकार को भी स्टाम्प छपाने का व्यय नहीं करना होगा।

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित होः-

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार एवं प्रारंभः-

   (i) यह अधिनियम "कोर्ट फीस (झारखण्ड संशोधन) अधिनियम, 2017" कहा जा सकेगा।

   (ii) इसका प्रसार सम्पूर्ण झारखण्ड में होगा।

   (iii) यह उस तिथि को प्रवृत होगा जैसा कि राज्य सरकार, राजकीय गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करें।

2. मूल अधिनियम की धारा 25 निम्न रूप से प्रतिस्थापित की जाएगी।

   25. सभी शुल्क का संग्रहण स्टाम्प या ई-भुगतान के द्वारा- "इस धारा के अन्तर्गत वर्णित शुल्क या इस अधिनियम के अन्तर्गत वर्णित सभी शुल्क का संग्रहण स्टाम्प या ई-भुगतान द्वारा किया जा सकेगा।"

यह विधयेक कोर्ट-फीस (झारखण्ड संशोधन) विधयेक, 2017 दिनांक 14 दिसम्बर, 2017 को झारखण्ड विधान-सभा में उद्‌भूत हुआ और दिनांक 14 दिसम्बर, 2017 को सभा द्‌वारा पारित हुआ ।

( दिनेश उरांव )

अध्यक्ष

---

झा०रा०मु० (एल०ए०) 70–50–22-12-2017